कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 मेरठ

पत्रांक 4852 / 1सी   दिनांक 17/9/2019

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (नगर)
मेरठ।

विषयः— मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, अबू का मकबरा केसरगंज मेरठ के टेरीटेरी मैनेजर (रिटेल) द्वारा मेरठ में गढ़ मेरठ बागपत सोनीपत (एस0एच0–14) के कि0मी0 53 (चैनेज 52.500 पर ग्राम मलियाना के खसरा संख्या–586 व 589 लैफ्ट हैन्ड साईड पर (बायी ओर) पर न्यू रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः— आपका कार्यालय पत्रांक 199 / आब0सहा0 / अनापत्ति–प्रमाण–पत्र / 2019–20 / मेरठ दिनांक 23.04.2019 एवं मुख्य अभियन्ता, प0क्षे0, लो0नि0वि0, मेरठ के पत्रांक 5239नि0 / 882(आर0)–मे0क्षे0 / 2019 दिनांक 07.09.2019

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ एवं सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानको के आधार पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र की संस्तुति की जाती है।

1– मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, अबू का मकबरा केसरगंज मेरठ के टेरीटेरी मैनेजर (रिटेल) द्वारा मेरठ में गढ़ मेरठ बागपत सोनीपत (एस0एच0–14) के कि0मी0 53 (चैनेज 52.500 पर ग्राम मलियाना के खसरा संख्या–586 व 589 लैफ्ट हैन्ड साईड पर (बायी ओर) (22.86 मी0) की दूरी के बाद स्थापित किया जायेगा।

2– मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मेरठ द्वारा प्रस्तावित आउटलेट की स्थापना संलग्न एनेक्चर I, II, III में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करते हुये स्थापित करेगी, उनके द्वारा यदि एनेक्चर I, II, III में वर्णित कोई भी शर्तो का उल्लंघन किया जाता है यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

3– बफर स्ट्रीप का निर्माण आई0आर0सी0 मानक के अनुसार (शहरी क्षेत्र हेतु मानक) होना चाहिए।

4– रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग में 150 एम0एम0 जी0एस0बी0, डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–II, डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–III, प्रत्येक 75 एम0एम0 (अथवा 150 एम0एम0 डब्लू0एम0एम0), 50 एम0एम0 बी0एम0 तथा 25 एम0एम0, एस0डी0बी0सी0 का न्यूनतम पेवमेंट कम्पोजीशन होना चाहिए।

5– रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग में स्लैब कल्वर्ट बनाई जाये जिसमें लोहे की ग्रेटिंग की ओपनिंग होगी ताकि रिटेल आउटलेट एवं पहुँच मार्ग पर आने वाला वर्षा का पानी पुलियो द्वारा डिस्पोजल किया जा सके।

6– मार्ग पर 300 मी0 की दूरी पर कोई अन्य रिटेल आउटलेट नही होना चाहिए।

7– रिटेल आउटलेट के प्लाट का साइज आई0आर0सी0 12–2009 के अनुसार होना चाहिए।

8– रिटेल आउटलेट पेन्टिड एरिया का लेवल सड़क के पेन्टिड सतह के मध्य लेविल से 30 मी0 नीचा होना चाहिए।

कुमार अविनाश 24/10/201
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

9– रिटेल आउटलेट का निर्माण मार्ग की स्थाई भूमि, आर0ओ0डब्लू0 एवं बिल्डिंग लाइन के बाहर होना चाहिए तथा निर्माण सामग्री इसकी सीमा में एकत्रित न की जाये।

10– रिटेल आउटलेट स्थापित करने में आई0आर0सी0–12–2009 में दिये गये निर्देशो की अनुपालन अनिवार्यतः किया जायेगा।

11– भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

12– यदि निर्माण स्थल भूमि पर न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

13– मानचित्र में दर्शाये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लेखित किन्ही भी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय तथा लो0नि0वि0 के समस्त निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

14– इस प्रकार की कोई भी स्थाई अथवा अस्थाई संरचना नही की जायेगी जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।

15– रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रखरखाव मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड मेरठ द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा।

16– पेट्रोल पम्प पर स्वच्छ पीने का पानी एवं टॉयलेट की सफाई की उचित व्यवस्था एवं रखरखाव किया जाये। विभाग द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा।

17– एनेक्सर–III के बिन्दू संख्या–4/14 में वर्णित शर्त के अनुसार एक मुश्त रू0 दो लाख अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ के खाते में पैट्रोल पम्प की स्थापना से पूर्व जमा करेगी। उपरोक्त धनराशि के जमा किये बगैर कोई भी कार्य कराया जाना अवैद्य होगा।

यदि आवेदक उपरोक्त किसी भी शर्त का अनुपालन नही करता हैं तो उपरोक्त संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नः– उपरोक्तनुसार प्रकरण
दो प्रतियो में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मेरठ।

पत्रांक / दिनांक.........................

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता (चतुर्थ) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अवर अभियन्ता (प्रा0) प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

२५/१०/२०१९

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
मेरठ।

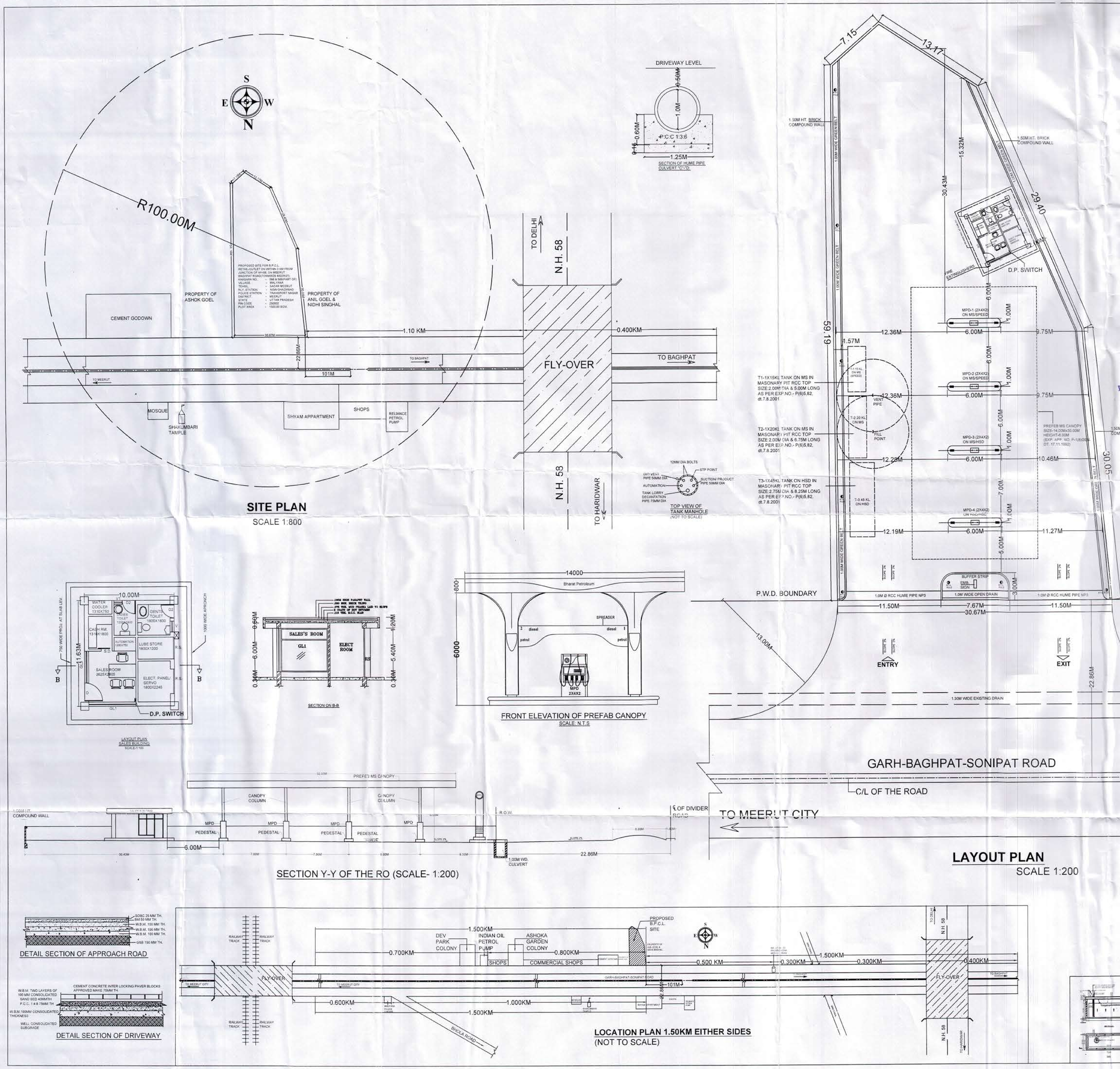

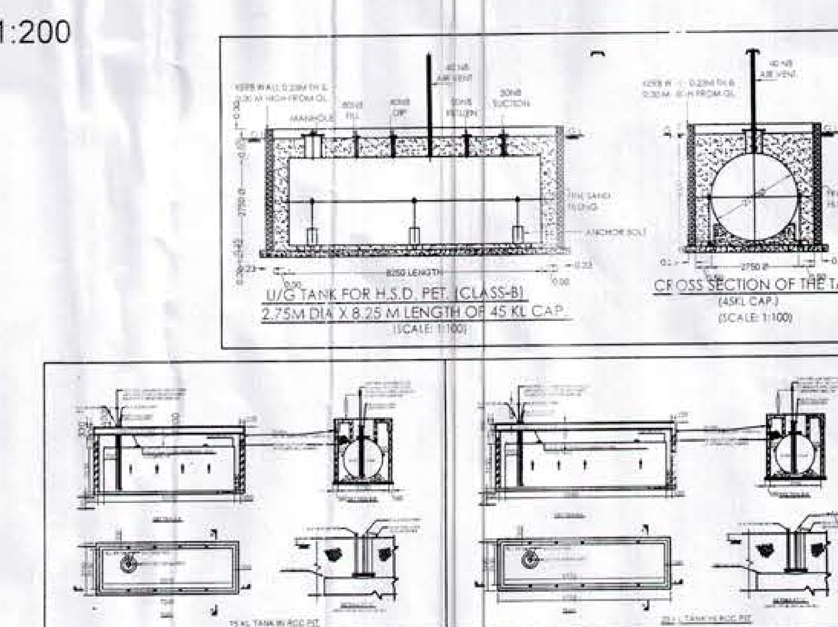

संलग्न–शर्तें

1. मैसर्स भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0, आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ को यू0पी0 रोड़ साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा–6 के अन्तर्गत जनपद मेरठ के अन्तर्गत गढ़ मेरठ बागपत सोनीपत (एस0एच0–14) के कि0मी0 53 (चैनेज 52.500) पर ग्राम मलियाना के खसरा संख्या 586 व 589 में लैफ्ट हैण्ड साईड पर (बायीं ओर) एक नवीन रिटेल आउटलेट सड़क के मध्य से 75.00 फीट की दूरी के बाद स्थापित किया जायेगा।
2. मैसर्स भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि0, आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना संलग्न एनेक्सर– I, II एवं III में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करते हुये स्थापित करेगी। उनके द्वारा यदि एनेक्सर–I, II एवं III में वर्णित कोई भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
3. आवेदक को मार्ग के मध्य से 75.00 फीट दूरी के बाद 01 मीटर चौड़ी नाली का निर्माण लो0नि0वि0 की सड़क की बाउड्री के बाद करना होगा तथा विभागीय अनुबन्ध के बाद पेट्रोल पम्प के प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पर 1 मीटर स्थान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराना होगा। पेट्रोल पम्प के पानी का उक्त नाले में प्रवाह/बहाव हेतु आवश्यक ओपनिंग/गलीग्रेटिंग का निर्माण कराना होगा जिससे पेट्रोल पम्प का पानी मार्ग की ओर न आ सकें। पुलिया/नाली का टॉप लेवल मार्ग की पटरी से 2 प्रतिशत के ढाल में पटरी से नीचा रखा जायेगा ताकि मार्ग पर किसी भी दशा में पानी एकत्रित न हो पाये। पेट्रोल पम्प के पानी की निकासी हेतु भी पम्प परिसर से पुलिया/नाली की ओर 3 प्रतिशत का ढाल इस प्रकार किया जायेगा ताकि पम्प परिसर का पानी पुलिया/नाली में जा सके, ताकि मार्ग पर किसी भी दशा में पानी एकत्रित न रहने पाये।
4. नाली के निर्माण एवं पेट्रोल पम्प के निर्माण से राज्य मार्ग के यातायात में अवरोध नही होना चाहिए।
5. पेट्रोल पम्प का निर्माण इस प्रकार हो कि वर्षा का पानी बहकर मार्ग की ओर आकर मार्ग को क्षतिग्रस्त न करें। इसी प्रकार मार्ग से पेट्रोल पम्प की ओर ढाल देकर निर्माण किया जाये ताकि पानी के रूकने से कही पर भी अवरोध न हो।
6. राज्य मार्ग पर मलबा, निर्माण सामग्री आदि एकत्रित करना अवैध होगा।
7. यदि आयल कम्पनी नक्शे से अलग कोई भी निर्माण, बिना अनुमति के करती है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
8. एनेक्सर–III के बिन्दु–4/14 में वर्णित शर्त के अनुसार आयल कम्पनी एक मुश्त रू0 दो लाख अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ के खाते में पेट्रोल पम्प की स्थापना से पूर्व जमा करेगी। उपरोक्त धनराशि जमा किये बगैर कोई भी कार्य कराया जाना अवैध होगा।
9. निर्माण कार्य में यू0पी0 रोड़ साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के 1945 के मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
10. भविष्य में मार्ग के विस्तार की सम्भावना है, यदि विभाग को चौड़ीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता होगी तो ऑयल कम्पनी को विभागीय शर्तों पर भूमि छोड़नी होगी।
11. पेट्रोल पम्प के परिसर में पीने के लिये ठंडा पानी तथा स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
12. निर्गत अनुमति की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये।
13. लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों की अनापत्ति प्रमाण–पत्र/अनुमति यदि आवश्यक हो तो कम्पनी/आवेदक द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेगी।

यदि आवेदक उपरोक्त किसी भी शर्त का अनुपालन नही करता है, तो उपरोक्त संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0
मेरठ

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0
मेरठ

अधीक्षण अभियन्ता,

Bharat Petroleum

NOTES:

1. V= VENT PIPE 4.00M HIGH END COVERED WITH TWO LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE OF 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
2. F= FILL POINTS FITTED WITH CAM LOCK COUPLING & AIR TIGHT THREADED BRASS/ALUNINIUM CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
3. D= DIP PIPE WITH DIP CAP ASSEMBLY OF BRASS/ALUMINIUM.
4. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE FLAME PROOF CONFORMING TO I.S.2148.
5. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUT WARD.
6. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6.0M OF THE DISPENSING UNIT.
7. PREMISES TO BE USED ONLY FOR STORAGE OF PETROLEUM PRODUCT.
8. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED OXIDE PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
9. FABRICATION DESIGN OF U/G STORAGE TANK ARE CONFORMING TO I.S.10987.1992 AND AS PER C.C.O.E. NAGPUR APP.REF NO. G-40(CC)/P/MISC/94 DT- 24.02.99
10. ALL DIMENSIONS ARE IN MM UNLESS OTHERWISE NOTED.
11. S.B.=SAND BUCKET 6NOS.AS PER EXPLOSIVE RULE.
12. F.E.=FIRE EXTINGUISHERS 2NOS. 9KG DCP AS PER EXPLOSIVE RULE.
13. TANK SHOULD BE GIVEN HYDRAULIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING IS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AT A CONTROLLED PRESSURE OF 0.38 KG/SQ.CM. AND MAINTAINED FOR 2 HOURS.
14. DIP RODS SUPPLIED WITH THE TANK FOR THE TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280MM LONG INSTEAD OF 2350MM.
15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATE AND END PLATE OF TANK 20LK SHELL -6MM END -8MM
16. THE CONSTRUCTION OF TANKS,PROTECTION, SPECIFICATION CONFORMS TO 124,125 &131 OF THE PR-2002.
17. ALL LIGHT POLES ARE FITTED AFTER APPROVAL OF C.C.E. NAGPUR VIDE LETTER NO.PL-111(MBI) DT. 26-11-1963.
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM EDGE OF THE METALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED SUCH THAT THE WATER FLOWS TOWARDS DRAIN.
19. SITE MEETS APPLICABLE IRC1983 NORMS LATEST AMENDMENTS.
20. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COUNT OF LAW.
21. THERE IS NO OVERHEAD H.T. LINE PASSES THROUGH THE PLOT.

NOTE:...THE SITE SUITABLE FOR SETTING UP A RETAIL OUTLETAS PER ALL THE IRC NORMS GUIDELINES.

PROPOSED MPD DETAIL

S.NO.	PRODUCT	CLASS	CONNECTED TO TANKS
MPD-1 (2X4X2)	SPEED/MS	A/A	T-1,T-2
MPD-2 (2X4X2)	SPEED/MS	A/A	T-1,T-2
MPD-3 (2X4X2)	MS/HSD	A/B	T-2,T-3
MPD-4 (2X4X2)	HSD/HSD	B/B	T-3

TANK TABLE:

S.NO.	PRODUCT	CAPACITY	LENTHG	DIA	REMARK
T-1	MS(SPEED)	15KL	5.00M	2.00	IN MASONRY PIT
T-2	MS	20KL	6.75M	2.00	IN MASONRY PIT
T-3	HSD	45KL	8.25M	2.75	IN MASONRY PIT

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER & MILIMETERS UNLESS OTHERWISE NOTED.

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
ABU KA MAKBRA KESARGANJ MEERUT

SCALE : AS SHOWN

DATE :- 23.02.2019

NORTH

SUBJECT-:SERVICE & FILLING STATION LAYOUT PLAN

SITE INFORMATION

PROPOSED SITE FOR B.P.C.L. RETAIL OUTLET ON WITHIN 3 KM FROM JUNCTION OF NH-58, ON MEERUT BAGHPAT ROAD (TOWARDS MEERUT), MEERUT

KHASARA NO.:	-	586 & 589(PART OF)
VILLAGE. :	-	MALYANA
TEHSIL. :	-	SADAR MEERUT
RLY. STATION	-	NEW GHAZIABAD
POLICE STATION	-	TRANSPORT NAGAR
DISTRICT.	-	MEERUT
STATE	-	UTTAR PRADESH
PIN CODE	-	250002
PLOT AREA	-	1500.00 SQM.

PREPARED BY
SR. MANAGER (Construction)
B.P.C.L. MEERUT

एम. ब्रह्मा (M. Brahma)
प्रबन्धक अभियांत्रिकी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसरगंज, मेरठ (उ0प्र0)

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)